प्रारुप—5

परियोजना विवरण :— जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्ठा चक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण—पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

JE PWD

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

28/09/15
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

संख्या- 549 / III(2)/14-49(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 149.30 कि0मी0 + 05 सेतु तथा लागत ₹ 1264.32 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **1264.32** लाख (₹ बारह करोड़ चौसठ लाख बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 मे संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 32 कार्य हेतु ₹ 3.20 लाख (₹ तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सडको तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य मे विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

शासनादेश संख्या:- 549 / III(2)/14-49(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

13	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत नैखरी से मोल्ठा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	35.90 (29.25 लाख + 6.65लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल से मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10.00	79.50 [58.50 + 21.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
15	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत उनाना से रूमधार मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	31.12 [23.40 + 7.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
16	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत बरसोली से गवाणा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	23.76 [17.55 + 6.21 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
17	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत थाली डागर से पीपलीधार–कोठार–पाली –गोदी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	8.00	62.24 [46.80 + 15.44 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
18	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत गुरूदेवल–सलैथी–पवारगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 6 जोगियाणा बैण्ड से चमालगांव होते हुए हिण्डोलाखाल–पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 7 स्थान खोलीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.500	34.97 [26.33 + 8.64 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
19	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत व्यासघाट से डांडा नागराजा सिद्धपीठ तक ग्राम–सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	92.70 [58.50 + 34.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
20	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम दानीजाला को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु गोला नदी के ऊपर 100 मी0 स्पान के झूला पुल का निर्माण कार्य।	100 mt	5.00	0.10
21	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में अगलाड़–थत्यूड मोटर मार्ग पर क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण।	15.00	117.75 [87.75 + 30.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
22	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से क्यारी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	42.97 [29.25 + 13.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
23	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 सेतु सहित निर्माण।	2.50 + 20mt	19.75 [15.83 + 3.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10

सत्य प्रतिलिपि

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन मे रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 730/XXVII/(2)/2013 दि0: 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

सत्यप्रति लिपि

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः– 549 (1)/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू रानीताल मोल्ठा चक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

आज **दिनाँक 06.05.2015** को **वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग** के द्वारा **कि0मी0 0.00** से **कि0मी0 5.00** तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से **श्री लखपति लाल वन दरोगा, श्री मगन लाल** वन क्षेत्राधिकारी, सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री अजय पंवार कनिष्ठ अभियन्ता अन्य दावेदारों की ओर से **प्रधान** तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में **क्षेत्र पंचायत** के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृश्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें **2225(मी0)** नाप भूमि.से, **2100 (मी0)** सिविल भूमि से, **शून्य** (मी0) वन पंचायत से, 25 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **1.5575** हे0 नाप भूमि, 1.4700 हे0 सिविल भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, 0.0175 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल **1.4875 हे0** भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 156 **वृक्ष** विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 90 **बांज** प्रजाति के प्रभावित होगा । **वृक्षों की सूची मूल्यांकन सहित प्रस्ताव पर संलग्न है।**

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 4250.00 (मी0) नाप भूमि से, 2750.00 (मी0) सिविल भूमि से, शून्य (मी0) वन पंचायत से, शून्य (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.2225 हे0 नाप भूमि 0.2125 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.4350 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवयकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 172 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 95 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन 01 कक्ष से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 58 % है एवं इन कक्षों में 5 प्रजाति के वन हैं।

प्रभावित होने वाली नाप भूमि **1.5575 हे0** पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर **चीड़, खड़ीक, बांज, मेहल, भीमल** प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 15 % है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान **78°37'21.47"E, 30°17'24.21"N** है तथा यह स्थल **लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग** के कि0मी0 30.00, के हे0मी0 8 से 10 (अन्तिम बिन्दु) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल **मोल्ठा** है, जिसका GPS मान **78°37'53.79"E, 30°17'39.34"N** है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान **संलग्न** हैं।

चयनित समरेखन में कुल .... पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 03 नं0 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्न हैं।

अन्य आवश्यक विवरण (1) 78°37'40.02" E, 30°17'33.36" N
(2) 78°37'45.66" E, 30°17'29.94" N
(3) 78°37'56.52" E, 30°17'36.48" N

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
देवप्रयाग

उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज

वनक्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांग चौरा, टिहरी गढ़वाल

उप प्रभीय वनाधिकारी
उपवन प्रभाग देवप्रयाग
नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

प्रारुप—7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from E.E. P.W.D. Kirtinagar for diversion under FCA-1980) of **1.4875** ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Lingwana to Souru ranital Moltha M/R (4.350)** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated -------------

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **1.4875** ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोटः— प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आव यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:- Muni Ki Reti...

Name प्रभागीय वनाधिकारी

Date...........................

Designation नरेन्द्रनगर वन प्रभाग...

Office Seal मुनि-की-रेती....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

प्रारुप–14

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्ठा चक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.4700 हे0 सिविल भूमि एवं 0.0175 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 1.4875 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप–15

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्ठा चक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम/ कम्पार्टमेन्ट	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती	डांगचौरा राजि	~~देवप्रयाग~~ ल्यूणा ल्यूणा कक्ष सं0 2	25.00	7.00	0.0175

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

वनक्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डॉग चौरा, टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रारूप – 15.1

परियोजना विवरण :– जिला योजना के अन्तर्गतलिंगवाणा से सौडू रानीताल मोल्ठा चक मोटर मार्ग का नव निर्माण (कि0मी0 4.350) ।

नकल खतौनी ज0वि0 मौजा– लिगवाणा, पट्टी चन्द्रबदनी तहसील देवप्रयाग जिला टि0ग0

खाता सं0	प्लॉट नं0	कुल क्षेत्रफल हे0 में	अर्जित क्षेत्रफल हे0 में	नाम – भूमि धर
3	503	0.421	0.105	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर

मौजा भद्रासु पट्टी चन्द्रबदनी

2	61	0.361	0.130	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
2	79	0.080	0.035	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर

मौजा झनाऊ (जुराना) पट्टी चन्द्रबदनी

12	2378	0.189	0.070	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	2939	0.690	0.175	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	2144	0.136	0.063	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	2049	0.376	0.098	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	2051	0.189	0.056	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	1407	2.507	0.254	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	1581	0.211	0.063	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	1400	1.745	0.308	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	1874	1.125	0.035	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	1877	0.189	0.042	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
12	1946	0.036	0.036	अ0प्र0 सं0 वर्ग 9 (3 ड) बंजर
तीन गांवो का कुल योग :–			**1.470**	

अमीन

कनिष्ठ सहायक

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

रा0उ0नि0
पटवारी-चन्द्रबदनी
तहसील-देवप्रयाग
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
देवप्रयाग,टि0ग0

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो.नि.वि.
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप–16

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्ठा चक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	25.00	7.00	0.0175
2	सिविल सोयम भूमि	2100.00	7.00	1.4700
3	वन पंचायत भूमि	–	–	–
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	–	–	–
	वन भूमि का योग	2125.00	7.00	1.4875
5	नाप भूमि	2225.00	7.00	1.5575
कुल योग–		**4350.00**	**7.00**	**3.0450**

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

28/09/15
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

बार चार्ट

कार्य का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू रानीताल से मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण। (वास्तविक लम्बाई 4.350 कि0मी0)

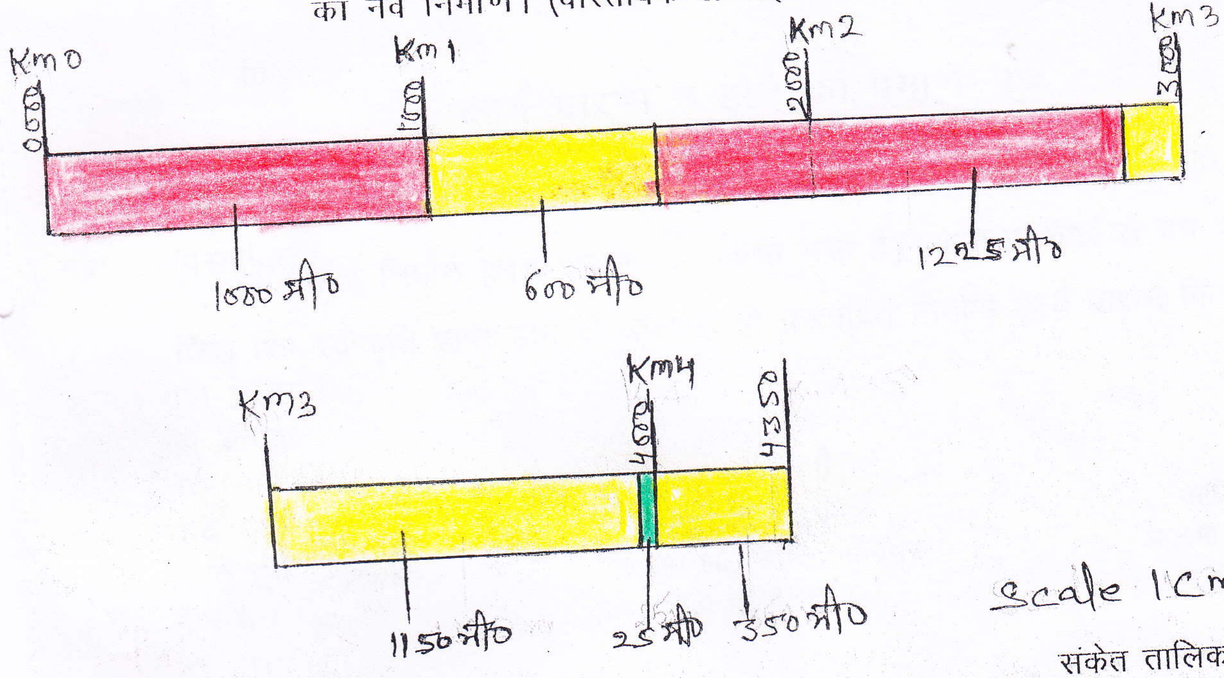

Scale 1cm=200M.

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग
आरक्षित वन भूमि	हरा
सोयम वन भूमि	पीला
वन पंचायत भूमि	
नाप भूमि	लाल

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0 श्रीनगर,
मुख्यालय—कीर्तिनगर

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0 श्रीनगर,
मुख्यालय—कीर्तिनगर

2010/5/15
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0 श्रीनगर,
मुख्यालय—कीर्तिनगर

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर मुनीकीरेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनीकीरेती